

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 275 सन 2022

अनवान :-

1. कृष्णा पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. धापी पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. भगतुराम पुत्र धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
3. रामगोपाल पुत्र धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
4. सावत्री पुत्री धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही गौजा भुकरका के खाता संख्या 9/7 की कुल 30.2880 हैब में से 2525/60575 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज दोलतराम व धनपत के नाम से दर्ज थी जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने वाद भूमि के साथ साथ अन्य भूमियों का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

धनपत पुत्र जालुराम का देहान्त हो चुका है वाद भूमि धनपत की पत्नी धापी के नाम से दर्ज है पूर्वजों के बाहमी बटवारा में वादीया के पूर्वजों को प्राप्त हुई थी जिनके देहान्त होने पर वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा एवं परिवारिक समझौता / बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जो परिवारिक समझौता / बाहमी बटवारा में वादीया को प्राप्त हुई है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज जालुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का एवं अन्य भूमियों का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों ने परिवारिक समझौता

किया जाकर सभी भूमियों को बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीया के पूर्वजों का प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिनके देहान्त होने पर वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों ने परिवारिक समझौता/ बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि जो वर्तमान में वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है को वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 9/7 की कुल 30.2880 हैक् में से 2525/60575 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज दोलतराम व धनपत के नाम से दर्ज थी जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने वाद भूमि के साथ साथ अन्य भूमियों का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था उरगी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।

धनपत पुत्र जालुराम का देहान्त हो चुका है वाद भूमि धनपत की पत्नी घापी के नाम से दर्ज है पूर्वजों के बाहमी बटवारा में वादीया के पूर्वजों को प्राप्त हुई थी जिनके देहान्त होने पर वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादीया के खातेदारी हकों का हनन होता है वादीया अपने हक हिस्सा एवं परिवारिक समझौता / बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्वध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्ली फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 9/7 की कुल 30.2880 हैक् में से 2525/60575 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादीया का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज जालुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का एवं अन्य भूमियों का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों ने परिवारिक समझौता किया जाकर सभी भूमियों को बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीया के पूर्वजों का प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिनके देहान्त होने पर वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वजों

ने परिवारिक समझौता/ बाहगी बटवारा में प्राप्त भूमि जो वर्तमान में वादीया के कब्जा काशत मे चली आ रही है को वादीया अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के पूर्वजो को समय परिवारिक समझौता/बाहगी बटवारा मे मिली हुई भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरसा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 9/7 की कुल 30.2880 हैक् में से 2525/60575 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्णा पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. धापी पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. भगतुराम पुत्र धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
3. रामगोपाल पुत्र धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
4. सावत्री पुत्री धापी जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 275 सन 2022 निर्णय दिनांक-27/06/22

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सदुत्त एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 9/7 की कुल 30.2880 हैक्टर में से 2525/60575 हिरसा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि दैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/06/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )